

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 287] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 1973/श्रावण 27, 1895

No. 287] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 1973/SRAVANA 27, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 18th August 1973

S.O. 444(E).—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 3609/IDRA/18A/69, dated the 1st September, 1969, read with the orders of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade Nos. S.O. 616, dated the 3rd February, 1971 and S.O. 3252, dated the 30th August, 1971, the management of the undertaking known as New Victoria Mills Co. Ltd., Kanpur had been taken over by the Authorised Controller referred to in the order first mentioned above for a period up to and inclusive of the 31st August, 1973;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the order first mentioned above shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 31st August, 1974.

[No. F. 28013/77/73-Text-Text(G)]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1973

का०आ० 444(अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 616, तारीख 3 फरवरी, 1971 और का०आ० 3252, तारीख 30 अगस्त, 1971 के साथ पठित, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 3609/आई डी आर ए/18फ/69, तारीख 1 सितम्बर, 1969 द्वारा न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर नामक उपक्रम का प्रबन्धन पर वर्णित आदेश सं० का० आ० 3609, तारीख 1 सितम्बर, 1969 में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 3 अगस्त, 1973 तक; जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है कि उक्त उपक्रम का प्रबन्धन उक्त प्राधिकृत नियंत्रक एक वर्ष की और अवधि तक करता रहे ;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि ऊपर वर्णित का० आ० 3609, तारीख 1 सितम्बर, 1969 वाला आदेश 31 अगस्त, 1974 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० का० 28013/77/73-टेक्स-टेक्स(जी)]

डी० के० सक्सेना, संपुक्त सचिव ।